कृषि से जुड़े उद्यमों की स्थापना के लिए 3781 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

कृषि अवसंरचना निधि से 2023-24 में नए उद्योगों की स्थापना के प्रयास तेज

अमर उजाला ब्यूरो

हर महीने हर जिले से पांच प्रोजेक्ट की मंजूरी दिलाने की तैयारी, दिशा-निर्देश जारी

लखनऊ। प्रदेश के किसानों को कृषि से जुड़े उद्यम स्थापित करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि अवसंरचना निधि से 3781 करोड़ रुपये की सहायता दिलाने की तैयारी है। सरकार ने प्रदेश के हर जिले से हर महीने कम से कम पांच प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने का लक्ष्य तय किया है। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे तीन हजार से ज्यादा किसानों को सीधे लाभ मिलेगा।

कृषि अवसंरचना निधि से बीज उत्पादन व शोधन, उर्वरक, बीज, दवा विक्री, उद्यानीकरण, पॉलीहाउस, मत्स्य उत्पादन, रेशम कीट पालन, फूलों की खेती तथा अचार-जैम-जैली आदि के उत्पादन जैसे काम किए जा सकते हैं। इनसे बनने वाले खाद्य पदार्थों की उत्पादक इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई व कृषि यंत्र आदि की खरीद भी की जा सकती है। पोषण प्रबंधन (न्यूट्रिशन मैनेजमेंट) के लिए दलिया, दूध व दूध से बने पदार्थ के उत्पादन से जुड़ी इकाइयां भी स्थापित की जा सकती हैं।

दो करोड़ के प्रोजेक्ट तक क्रेडिट गारंटी

निधि के अंतर्गत दो करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं देनी होगी। कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए दो करोड़ की सीमा तक क्रेडिट गारंटी अलग-अलग संस्थाओं से दिलाने की व्यवस्था की गई है।

छह प्रतिशत ब्याज में छूट

बैंक द्वारा लिए जाने वाले ब्याज पर तीन प्रतिशत छूट निधि के तहत जबकि तीन प्रतिशत राज्य सरकार दे रही है। इस तरह ब्याज में छह प्रतिशत छूट मिल रही है। जिस स्कीम के अंतर्गत प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, उसके अंतर्गत पूंजीगत छूट व अन्य रियायतें अलग से मिलती हैं।

शासन ने ऐसी इकाइयों के प्रोजेक्ट बनाकर जिलों के लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से ऋण स्वीकृत करवाने को कहा है। हर प्रोजेक्ट कम से कम एक करोड़ का होना चाहिए। कृषि विभाग ने प्रदेश के समस्त उप कृषि निदेशकों को निर्देशित किया है कि वे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैंकों की बैठक करवाकर कृषक उद्यमियों के प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाएं।